



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 19, 2015/पौष 29, 1936

No. 39]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 19, 2015/PAUSA 29, 1936

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2015

**सा.का.नि. 41(अ).**—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किरोसिन (उपयोग पर निर्बंधन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम किरोसिन (उपयोग पर निर्बंधन और अधिकतम कीमत नियतन) संशोधन आदेश 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. किरोसिन (उपयोग पर निर्बंधन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल आदेश कहा गया है) के खंड 2 में, -

“(क) उपखंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(छक) ‘गैर पी डी एस किरोसिन’ से पी डी एस किरोसिन से भिन्न सभी किरोसिन अभिप्रेत हैं।’

(ख) उपखंड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(झक) “गैर पी डी एस किरोसिन” से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित किरोसिन अभिप्रेत है जिसे खंड 8 के अधीन विशिष्ट रूप से रखा गया है।’

3. मूल आदेश के खंड 3 के उप-खंड (ग) में “और आई बी पी कंपनी लिमिटेड” शब्दों और अक्षरों को हटा दिया जाएगा।

4. मूल आदेश के खंड 7 में, -

(क) उपखंड (घ) और उपखंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंडोंको रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(घ) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम लिमिटेड यह सुनिश्चित करेंगे कि गुणता नियंत्रण को इस प्रकार से कार्यन्वित किया जाए कि देश में उत्पादित किरोसिन के विक्रय किए जाने के पहले और आयतित किरोसिन की दशा में पतन पर भंडारण अवसंरचना में रखे जाने या विक्रय किए जाने के पहले भारतीय मानक व्यूरो विनिर्देशन सं. आई एस-1459 के अधीन विनिर्देशन को किरोसिन पूरा करे’।

(च) समानांतर विपणनकर्ता को इस अधिनियम के उपबंधों, नियमों और उसके अधीन बताए गए विनियमों और तत्समय प्रवृत्त विधियां जिस प्रकार से लागू हों के अनुपालन करने पर गैर पी डी एस किरोसिन के पैकेज और विक्रय की अनुमति होगी ;।”

(ख) उपखंड 7 (छ) को हां दिया जाएगा ।

5. मूल आदेश में, खंड 7 क को हां दिया जाएगा ।

6. मूल आदेश में खंड 11 के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएग, अर्थात् :-

“परंतु यह कि समानांतर विपणनकर्ता (जो आदेश के उपबंधों का अनुपालन कर रहे हैं) और उच्च किरोसिन तेल (एस के ओ) के थोक व्यापारी (जो सरकारी तेल कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए हैं) को गैर पी डी एस किरोसिन की आपूर्ति क्रियाकलाप, विपणन, व्यवसाय या वाणिज्य को इस आदेश के उपबंधों से छू नहीं होगी ।”

7. मूल आदेश में, अनुसूची क, अनुसूची ख, अनुसूची ग और अनुसूची घ को हां दिया जाएगा ।

[फा.सं. 45011/94/2012-वितरण]

डा. नीरज मितल, संयुक्त सचिव

**प्रिप्पण :** मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 584 (अ) तारीख 2 सितम्बर, 1993 को प्रकाशित किया गया था और निम्नलिखित संख्यांकों के द्वारा पश्चात्वर्ती किया गया था ।

1. सा.का.नि. 509 (अ) तारीख 19 जून, 1995
2. सा.का.नि. 126 (अ) तारीख 8 मार्च, 1996
3. सा.का.नि. 638 (अ) तारीख 21 अक्टूबर, 1998
4. सा.का.नि. 105 (अ) तारीख 22 फरवरी, 2001
5. सा.का.नि. 931 (अ) तारीख 5 दिसम्बर, 2003
6. सा.का.नि. 405 (अ) तारीख 6 जुलाई, 2006
7. सा.का.नि. 19 (अ) तारीख 12 जनवरी, 2007
8. सा.का.नि. 2 (अ) तारीख 1 जनवरी, 2009

### MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

#### ORDER

New Delhi, the 19<sup>th</sup> January, 2015

**G.S.R. 41(E).**—In exercise of the powers conferred under section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Kerosene (Restriction on Use and Fixation of Ceiling Price) Order, 1993, namely:—

1. (1) This Order may be called the Kerosene (Restriction on Use and Fixation of Ceiling Price) Amendment Order, 2015.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Kerosene (Restriction on Use and Fixation of Ceiling Price) Order, 1993 (hereinafter referred to as the principal Order), in clause 2, ---

(a) after sub-clause (g), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

‘(ga) “Non-PDS Kerosene” means all kerosene other than PDS kerosene;’.

(b) after sub-clause (i), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

‘(ia) “PDS Kerosene” means the kerosene distributed under the Public Distribution System as distinguishable under clause 8;’.

3. In the principal Order, in clause 3, in sub-clause (c), the words and letters “and IBP Co. Limited” shall be omitted.

4. In the principal Order, in clause 7,—

(a) for sub-clauses (d) and (f), the following sub-clauses shall be substituted, namely:—

“(d) The Indian Oil Corporation Limited, Hindustan Petroleum Corporation limited and Bharat Petroleum Corporation Limited shall ensure that quality checks are carried out so that the kerosene meets the specification under Bureau of Indian Standards specification No. IS-1459 in all respects before the indigenously produced kerosene is sold and in case of imported kerosene, before the imported kerosene is discharged into the storage infrastructure at the Port or sold;”

(f) The Parallel Marketeer shall be allowed to package and sell non-PDS kerosene in compliance with the provisions of the Act, the rules and regulations made thereunder and the laws for the time being in force, as may be applicable;”.

(b) sub clause 7 (g) shall be omitted.

5. In the principal Order, clause 7A shall be omitted.

6. In the principal Order, after clause 11, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that parallel marketeers’ (complying with the provisions of the Order), and Superior Kerosene Oil (SKO) wholesale dealers’ (appointed by the Government Oil Company) activities of supply, distribution, trade and commerce of non-PDS Kerosene shall be exempted from the provisions of this Order.”

7. In the principal Order, Schedules, A, B, C and D shall be omitted.

[F. No. P-45011/94/2012-Dist]

DR. NEERAJ MITTAL, Jt. Secy.

**Note :** The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 584(E) dated the 2<sup>nd</sup> September, 1993 and subsequently amended *vide* the following number:

1. G.S.R. 509(E), dated the 19<sup>th</sup> June, 1995.
2. G.S.R. 126(E), dated the 8<sup>th</sup> March, 1996.
3. G.S.R. 638(E), dated the 21<sup>st</sup> October, 1998.
4. G.S.R. 105(E), dated the 22<sup>nd</sup> February, 2001.
5. G.S.R. 931(E), dated the 5<sup>th</sup> December, 2003.
6. G.S.R. 405(E), dated the 6<sup>th</sup> July, 2006.
7. G.S.R. 19(E), dated the 12<sup>th</sup> January, 2007.
8. G.S.R. 2(E), dated the 1<sup>st</sup> January, 2009.